वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2007-2008

सत्यमेव जयते

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
Ministry of Minority Affairs

भारत सरकार
Government of India

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2007-2008

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

Ministry of Minority Affairs
Government of India

Web-site : www.minorityaffairs.gov.in

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1–3
2.	विशिष्टताएं	4–8
3.	अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम	9
4.	सच्चर समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई	10
5.	कोचिंग एवं सम्बद्ध सहायता योजना	11
6.	तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मैरिट–एवं–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	12–13
7.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	14
8.	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	15
9.	प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	16
10.	अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	17–18
11.	सांविधिक/वैधानिक/स्वायत्त निकाय/निगम/आयोग	19
12.	भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त	20
13.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	21–23
14.	वक्फ प्रशासन और केंद्रीय वक्फ परिषद्	24–26
15.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	27–30
16.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान	31
17.	दरगाह ख़्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 का प्रशासन	32
18.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	33–35
19.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	36
20.	उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन	37–38
21.	महिला–पुरूष संबंधी मुद्दे	39–40
	अनुबंध	41–58

अध्याय 1

प्रस्तावना

संगठन

1.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख केन्द्रीय मंत्री श्री ए0 आर0 अंतुले हैं। श्री एम0 एन0 प्रसाद ने 01 मार्च, 2006 को सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया। सचिव के सहायतार्थ तीन संयुक्त सचिव और एक संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार है। वर्ष के दौरान 14 अतिरिक्त पद स्वीकृत हुए हैं। मंत्रालय में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या, भरे गये पद और रिक्त पदों को दर्शाने वाला एक विवरण **संलग्नक–I** के रूप में संलग्न है।

मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **संलग्नक–II** में दिया गया है।

कार्यों का आबंटन

1.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पास अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध समग्र नीति, योजना, समन्वय, निगमित ढ़ाँचे तथा विकासात्मक कार्यक्रमों के मूल्यांकन और समीक्षा का एक व्यापक चार्टर है।

विभिन्न अधिनियमों का प्रशासन और कार्यान्वयन

1.3 यह मंत्रालय, निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है:–

(i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992,

(ii) वक्फ अधिनियम, 1995,

(iii) दरगाह ख्वाज़ा साहिब अधिनियम, 1955

आवास

1.4 यह मंत्रालय 19 फरवरी 2007 से पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली–110003 में स्थित है।

हिंदी का प्रयोग

1.5 मंत्रालय द्वारा अपने सभी महत्वपूर्ण आदेश व अधिसूचनाएं द्विभाषी रूप में जारी की गई। मंत्रालय में 14 से 21 सितम्बर, 2007 तक ''हिन्दी सप्ताह'' का आयोजन हुआ। सप्ताह आयोजन के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा पुरस्कार भी वितरित किए गए।

1.6 मंत्रालय में स्टाफ की भारी कमी के कारण हिंदी सलाहकार समिति गठित नहीं की जा सकी। हाल ही में सहायक निदेशक (राजभाषा) का एक पद स्वीकृत हुआ है। पद को भरने की कार्रवाई की जा रही है।

सतर्कता एकक

1.7 श्री अमेइजिगं लुईखम, संयुक्त सचिव को अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी सहायतार्थ एक निदेशक और एक अनुभाग अधिकारी हैं, जो अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त इस काम को भी देख रहे हैं। मंत्रालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 12 से 16 नवम्बर, 2007 तक किया गया।

राष्ट्रीय एकता सप्ताह

1.8 कौमी एकता सप्ताह (राष्ट्रीय एकता सप्ताह) : मंत्रालय में देशभक्ति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने के लिए 19–25 नवम्बर, 2007 तक कौमी एकता सप्ताह (राष्ट्रीय एकता सप्ताह) मनाया गया।

ई–गवर्नेंस

1.9 मंत्रालय की वेब साईट को यूआरएल www.minorityaffairs.gov.in पर आरम्भ कर दिया गया है। मंत्रालय के कार्यकलापों और उसके कार्यक्रमों, वार्षिक रिपोर्ट, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ ''प्रधानमंत्री के नये 15–सूत्रीय कार्यक्रम एवं भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति'' पर प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट से संबंधित सूचना

उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न स्वायत्त संगठनों से संबंधित सूचना भी उक्त वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1.10 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में उपसचिव श्रेणी के अधिकारी को इस मंत्रालय से सम्बद्ध सभी मामलों के लिए केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी पदनामित किया है। श्री सुजीत दत्ता, संयुक्त सचिव को अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

बजट

1.11 मंत्रालय का वर्ष 2007–08 का गैर–योजनागत बजट 12.83 करोड़ रूपए और योजनागत बजट 500.00 करोड़ रूपए है। योजनावार धनराशि नियतन का विवरण सलंग्न **संलग्नक III** में दिया गया है।

अध्याय 2

विशिष्टताएं

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम

2.1 प्रधानमंत्री के नये 15–सूत्री कार्यक्रम में जैसी परिकल्पना की गई है उस प्रकार वर्ष 2007–08 के वास्तविक लक्ष्यों और वित्तीय परिव्ययों में से 15 प्रतिशत का निर्धारण उन योजनाओं के लिए कर दिया गया है जिन योजनाओं के लिए यह निर्धारित किया जाना सम्भव था और जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इन लक्ष्यों से संबंधित जानकारी सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को दे दी गई है। इन लक्ष्यों से संबंधित कार्य–निष्पादन अर्थात् लक्ष्य प्राप्ति की प्रगति की निगरानी सम्बद्ध मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों के साथ नियमित रूप से आयोजित होने वाली बैठकों के माध्यम से की जाती है।

2.2 जैसा कि कार्यक्रम में प्रावधान किया गया है, कार्यक्रम कार्यान्वयन संबंधी प्रथम रिपोर्ट पर सचिवों की समिति द्वारा 28 मार्च, 2007 को हुई बैठक में विचार किया गया था और मंत्रिमण्डल द्वारा 21 जून, 2007 को विचार किया गया था। द्वितीय प्रगति रिपोर्ट पर सचिवों की समिति द्वारा 22 जनवरी, 2008 को विचार किया गया। तृतीय प्रगति रिपोर्ट भी सचिवों की समिति के विचारार्थ प्रस्तुत कर दी गई है।

अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान

2.3 2001 की जनगणना के आंकड़ों और पिछड़ेपन के मापदंड़ों के आधार पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की पहचान की है। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। जिससे आशा है कि इन जिलों में ''धीमी विकास'' की समस्या का समाधान हो

सकेगा। इन जिलों में धीमी विकास की समस्या का अभिनिर्धारण भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से सम्बद्ध स्थानीय क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा किए जा रहे आधारभूत सर्वेक्षण के माध्यम से किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों के भौगोलिक संवितरण पर अंतर–मंत्रालयी कार्यबल

2.4 भारत में अल्पसंख्यकों के भौगोलिक संवितरण की नीतिगत जटिलताओं और, विशेषकर संवितरण में शहरी पूर्वाग्रह की मंत्रालय द्वारा विस्तार से जांच की गई है। अल्पसंख्यक जनसंख्या के संवितरण की नीतिगत जटिलताओं को देखने और आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए नागरिक सुविधाओं का तथा रोजगार संभावनाओं के क्षेत्र में उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालयी कार्यबल का गठन किया गया था। इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 2007 में प्रस्तुत कर दी है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

2.5 पांचवे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री मौ0 हामिद अंसारी का त्यागपत्र 20 जुलाई, 2007 को स्वीकार किया गया था। श्री मौ0 शफी कुरैशी ने आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार 03 सितम्बर, 2007 को ग्रहण कर लिया है।

2.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 13 वार्षिक रिपोर्टें सौंपी है। इनमें से तीन रिपोर्ट ही, मंत्रालय के गठन तक, सम्बद्ध अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी ज्ञापन सहित संसद में रखी गई थी। सात वार्षिक रिपोर्टें, अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी ज्ञापन सहित संसद में वर्ष 2006–07 के दौरान रखी गई। शेष तीन वार्षिक रिपोर्टें, अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी ज्ञापन सहित संसद पटल पर वर्ष 2007–08 के दौरान रखी गई।

2.7 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किए जाने संबंधी विधेयक लोकसभा में दिसम्बर, 2004 में प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा ने इस विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया। स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 2006 में दी। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों के आलोक से उत्पन्न संवैधानिक और पारिभाषिक मुद्दों के मद्देनजर, मामले पर आगे और जांच की जा रही है। आधिकारिक संशोधन अभी किए जाने शेष है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम

2.8 राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह प्रावधान है कि ''निगम का कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित होना सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को पर्याप्त धन मुहैया कराया जाएगा''। एनएमडीएफसी की शेयर पूंजी को वर्ष 2007–08 के दौरान बढ़ाकर 750 करोड़ रूपए कर दिया गया है। 10वीं योजना के 158.10 करोड़ रूपए के प्रावधान की तुलना में 11वीं योजना में 500 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2007–08 के लिए 70 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया था और पूरी राशि निगम को जारी कर दी गई हैं।

2.9 निगम ने वर्ष 2007–08 के दौरान दिनांक 29 फरवरी 2008 तक 35,609 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। निगम की कार्यप्रणाली की समीक्षा और निगम को पुनर्गठित करने के उपाय का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 13 अप्रैल, 2007 को प्रस्तुत कर दी है, जिसकी जांच की जा रही है।

2.10 निगम की योजनाओं का लाभार्थियों पर प्रभाव के आंकलन और लाभार्थियों की आत्मनिर्भरता के आकलन के लिए कृषि वित्त निगम को मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है।

2.11 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के सुदृढीकरण के लिए एक नई योजना को स्वीकृति मिली है, क्योंकि इनकी कमजोर संरचना और दयनीय कार्य–निष्पादन, एनएमडीएफसी के सामने आ रही समस्याओं का मूल कारण हैं।

वार्षिक योजना

2.12 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वार्षिक योजनागत परिव्यय को वर्ष 2007–08 में 500 करोड़ रू0 से दोगुना बढ़ाकर वर्ष 2008–09 के लिए 1000 करोड़ रू0 कर दिया गया है। वर्ष 2008–09 के बजट अनुमानों में 13.83 करोड़ रू0 के गैर योजनागत बजट का प्रावधान किया गया है।

उच्च स्तरीय समिति

2.13 भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी। इस उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को 17 नवम्बर, 2006 को प्रस्तुत की थी। सच्चर समिति की सिफारिशों से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाईयों पर निर्णय लिया जा

चुका है। अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित एक विवरण संसद के दोनों सदनों के पटल पर 31 अगस्त, 2007 को रखा जा चुका है।

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग

2.14 धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंड़ निर्धारण संबंधी विस्तृत जांच करने और शिक्षा तथा सरकारी रोजगार में आरक्षण सहित उनके कल्याण के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई, 2007 में प्रस्तुत कर दी है।

समान अवसर आयोग

2.15 समान अवसर आयोग की संरचना और इसकी कार्य–प्रणाली का अध्ययन करने और इससे संबंधित अनुशंसा करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन 31 अगस्त, 2007 को किया गया था। इस दल द्वारा अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

विविधता सूचकांक पर विशेषज्ञ दल

2.16 विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक समुचित विविधता सूचकांक की अनुशंसा करने हेतु एक विशेषज्ञ दल का गठन 28 अगस्त, 2007 को किया गया था। आशा है कि यह दल अपनी रिपोर्ट मार्च, 2008 तक प्रस्तुत कर देगा।

छात्रवृत्ति योजनाएं

2.17 वर्ष 2007–08 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए तीन नई छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से एक योजना तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना है। अन्य दो योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना है। इन सभी छात्रवृत्ति योजनाओं में कुल छात्रवृत्तियों में से 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां, छात्राओं के लिए निर्धारित करने का प्रावधान हैं। मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, 29 फरवरी 2008 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 6414 छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जा चुकी है, जिनमें से 42 प्रतिशत से अधिक छात्रवृत्तियां, छात्राओं के लिए हैं।

कोचिंग और सम्बद्ध योजना

2.18 एक संशोधित कोचिंग और सम्बद्ध योजना भी शुरू की गई है। दिनांक 29 फरवरी 2008 तक 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 31 कोचिंग संस्थानों को अल्पसंख्यक समुदायों के 2582 छात्रों/अभ्यर्थियों की कोचिंग के लिए कुल 3.31 करोड़ रू0 की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

2.19 प्रतिष्ठान को 15 वर्ष के समयान्तराल के दौरान प्रदान की गई 100 करोड़ रू0 की संचित निधि को दिसम्बर, 2006 में दोगुना बढ़ाकर 200 करोड़ रू0 कर दिया गया है। प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि के लिए 50 करोड़ रू0 की राशि भी वर्ष 2007–08 के दौरान जारी की गई है।

2.20 प्रतिष्ठान को उपलब्ध बढ़े हुए संसाधन का उपयोग समुचित रूप से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिष्ठान का सचिव नियुक्त किया गया है।

2.21 प्रतिष्ठान द्वारा आर्गेनाइजेशन रिसर्च ग्रुप प्रा0 लि0 को प्रतिष्ठान की कार्य–प्रणाली का मूल्यांकन अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था। ओ.आर.जी. प्रा0लि0 ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 2007 में प्रस्तुत कर दी है। मूल्यांकन अध्ययन से संबंधित अनुशंसाएं सरकार के विचाराधीन हैं।

अध्याय 3

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम

3.1 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई थी।

3.2 इस कार्यक्रम के उद्देश्य है; (क) शिक्षा के अवसर बढ़ाना; (ख) वर्तमान एवं नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक कार्यकलापों तथा रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समान भाग तथा रोजगार प्रदान करना, स्व–रोजगार के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता, और राज्य व केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करना; (ग) ढ़ाँचागत विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार करना; और (घ) सांप्रदायिक असामंजस्य तथा हिंसा का निवारण एवं नियंत्रण करना।

3.3 इस नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य, पद्दलितों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के अलाभन्वित वर्गों तक पहुँचाना सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों को समान रूप से प्राप्त हो, नए कार्यक्रम में विकास परियोजनाओं का कुछ भाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवस्थित करने की व्यवस्था की गई है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहाँ कहीं सम्भव हो, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्ययों का 15 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

3.4 जैसाकि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए कार्यक्रम में व्यवस्था है, अधिकांश योजनाओं, जिनमें निर्धारण हो सकता है, में वास्तविक व वित्तीय परिव्ययों का 15 प्रतिशत निर्धारण कर दिया गया है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह लक्ष्य सूचित कर दिए गए हैं।

3.5 कार्यक्रम में किए गए प्रावधान के अनुसार, कार्यक्रम कार्यान्वयन संबंधी प्रथम रिपोर्ट पर सचिवों की समिति द्वारा 28 मार्च, 2007 को हुई बैठक में विचार किया गया था और मंत्रिमण्डल द्वारा 21 जून, 2007 को विचार किया गया था। द्वितीय स्थिति रिपोर्ट पर सचिवों की समिति द्वारा 22 जनवरी, 2008 को विचार किया गया। तृतीय स्थिति रिपोर्ट भी सचिवों की समिति के विचारार्थ प्रस्तुत कर दी गई है।

अध्याय 4

सच्चर समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई

4.1 सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट 17 नवम्बर, 2006 को प्रस्तुत की थी जिसे 30 नवम्बर, 2006 को संसद के दोनों पटल पर रखा गया था। रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सभी 76 अनुशंसाओं/सुझावों के संदर्भ में आम सहमति बनी थी। सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई को मई, 2007 में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ''सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई'' से संबंधित एक विवरण 31 अगस्त, 2007 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था। एक प्रति **संलग्नक IV** में दी गई है। निर्णयों को कार्यान्वित करने के संबंध में समुचित कार्रवाई की गई है। सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि की गई अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 15 दिन तक दे दी जाए। उन्हें यह सलाह भी दी गई है कि तिमाही समीक्षा बैठकों में मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त सचिव अथवा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करें। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा उच्च स्तर पर की जा रही है।

अध्याय 5

कोचिंग एवं सम्बद्ध सहायता योजना

5.1 अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध सहायता की संशोधित योजना वर्ष 2007 में शुरू की गई। यह केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जो शत–प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अनुशंसित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जानी है।

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों और अभ्यर्थियों को निम्नलिखित कोचिंग प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है:–

(क) ग्रुप 'क', 'ख' और 'ग' की सरकारी सेवाओं के लिए कोचिंग

(ख) तकनीकी/व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग

(ग) निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए कोचिंग

(घ) पुलिस, सुरक्षा बल और रेलवे में कांसटेबल और समक्षक पदों पर भर्ती हेतु कोचिंग

(ड.) उपचारी कोचिंग/शिक्षण

5.2 इस योजना के लिए पात्र होने के लिए छात्र अथवा अभ्यर्थी के परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रू0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.3 इस योजना के तहत दिनांक 29 फरवरी तक 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 31 कोचिंग संस्थानों को अल्पसंख्यक समुदाय के 2582 छात्रों/अभ्यर्थियों को कोचिंग हेतु कुल 3.31 करोड़ रू0 की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

अध्याय 6

तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मैरिट–एवं–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

6.1 मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007 में शुरू हुई जोकि एक केन्द्र प्रायोजित नई योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है। पूरा व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। यह छात्रवृत्ति–योजना के तहत समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नात्तक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक वर्ष 20,000 छात्रवृत्तियां दिए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। छात्राओं के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों को छात्रों के लिए तब ही उपयोग में लाया जा सकेगा, जब पात्र छात्राएं पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों।

6.2 50 ख्यातिप्राप्त संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। इन संस्थानों में अल्पसंख्यक समुदायों के जिन पात्र छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, उन्हें पूरी पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। दूसरे संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को 20,000 रू0 प्रतिवर्ष की दर से पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

6.3 इस योजना के तहत पात्र होने के लिए, किसी छात्र को समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त किसी तकनीकी अथवा व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लिया होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा के बिना प्रवेश प्राप्त छात्रों की स्थिति में छात्रों को 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किया नहीं होना चाहिए तथा छात्र के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रू0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6.4 इन छात्रवृत्तियों का संवितरण, सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की आबादी की प्रतिशतता के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार किया जाता है। दिनांक 29 फरवरी, 2008

तक 14 राज्यों में 6414 पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। इनमें से 42 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थी छात्राएं थी।

बंगलौर में कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा मेरिट एवं साधन छात्रवृति का वितरण

अध्याय 7

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

7.1 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को 11वीं कक्षा से लेकर पी.एचडी तक की उच्च शिक्षा तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से सम्बद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की 11वीं और 12वीं स्तर की तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा जारी रखने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना, दिसम्बर, 2007 में शुरु की गई थी। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से चलाई जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति पाने के लिए केवल वे छात्र ही पात्र हैं, जिन्होंने पिछली अन्तिम परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों और उनके माता–पिता/संरक्षक की सभी स्रोतो से वार्षिक आय 2.00 लाख रू0 से अधिक न हो।

7.2 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत, पूरी 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि (2007–2012) के दौरान 15 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें से 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

7.3 आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 29.02.2008 रखी गई थी। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वह धनराशि जारी करने के लिए प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करें।

अध्याय 8

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना

8.1 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पहली कक्षा से दसवीं कक्षा तक अध्ययन के लिए एक केन्द्र प्रायोजित मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना स्वीकृत की गई है। यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से केन्द्र और राज्यों द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जाएगी तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी। मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति के लिए वे छात्र ही पात्र होंगे, जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो और जिनके माता–पिता अथवा संरक्षक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.00 लाख रू0 से अधिक न हो।

8.2 मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत, पूरी 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि (2007–2012) के दौरान 25 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें से 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

अध्याय 9

प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/ अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना

9.1 नवम्बर, 2007 में शुरू हुई केन्द्रीय क्षेत्र की इस योजना में उन विशेषज्ञता प्राप्त संस्थानों/संगठनों को व्यावसायिक प्रभार दिए जाने का प्रावधान है, जो अल्पसंख्यकों की अपेक्षाओं और समस्याओं से जुड़े उद्देश्यपरक अध्ययन करने तथा साथ ही साथ आधारभूत सर्वेक्षण और विभिन्न योजनाओं की निगरानी करने के इच्छुक हों। योजना में यह भी प्रावधान है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और सूचनाओं के बाह्य प्रचार–प्रसार के लिए समाचार पत्र और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मल्टीमीडिया अभियान चलाया जा सके।

9.2 इस योजना के तहत भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद को अल्पसंख्यक बहुल सभी जिलों में आधारभूत सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है। नौ जिलों की आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो चुकी है।

अध्याय 10

अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

10.1 अल्पसंख्यक बहुल 90 अभिनिर्धारित जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि इन जिलों में क्षेत्र/समस्या, विशिष्ट विकास से जुड़ी नई परियोजनाएं तैयार की जाएंगी तथा कार्यान्वित की जाएंगी, क्योंकि राष्ट्रीय औसत की तुलना में ये काफी पीछे हैं और इन पर तत्काल विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन अधिकांश जिलों में विकास अछूता रहा है और विद्यमान योजनाएं, अल्पसंख्यक बहुल इन जिलों में विकास के अभाव की समस्या के समाधान में सक्षम नहीं हैं। वंचना के स्तर से यह स्पष्ट होता है कि कुछ जिलों में आधारभूत सुविधाओं का मानदंड 3.7% से 6.9% है जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 41.7% रहा है। इन जिलों की सूची **संलग्नक–V** में दी गई है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

10.2 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए प्रस्तावित इस नई केन्द्र प्रायोजित योजना को ''बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम'' कहा जाएगा, जिसका कार्यान्वयन 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता से किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन जिलों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ–साथ 11वीं योजना के दौरान विकास को प्राथमिकता देने के साथ असंतुलन को कम करने हेतु सामाजिक आर्थिक मानदंडों और आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाना है। जहां तक सम्भव होगा कार्यक्रम के तहत समुचित सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा।

''धीमी विकास'' का अभिनिर्धारण

10.3 इन जिलों में ''धीमी विकास'' के अभिनिर्धारण के लिए भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के माध्यम से आधारभूत सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित 90 जिलों के ग्रामीण और अर्द्ध–ग्रामीण क्षेत्रों पर इस कार्यक्रम के तहत बल दिया जाएगा। इस प्रकार अभिनिर्धारित 'धीमी विकास' के कारणों के आधार पर ही इन जिलों में बेहतर अवसंरचना और आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान के लिए जिला विशिष्ट योजना तैयार की जाएगी।

अध्याय 11

सांविधानिक / वैधानिक / स्वायत्त निकाय / निगम / आयोग

11.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित सांविधिक / वैधानिक / स्वायत्त निकाय / निगम / आयोग हैं :–

- भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, इलाहाबाद,
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली,
- केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली,
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली,
- मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली,

अध्याय 12

भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त

12.1 भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 350 ख के अनुसरण में जुलाई, 1957 में गठित किया गया था, जो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बनाये गये सांविधिक (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। अनुच्छेद 350 ख के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का यह कर्त्तव्य है कि वह संविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल करे और इन मामलों की रिपोर्ट उतने अंतराल पर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे जैसा राष्ट्रपति निर्देश दें तथा राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने और उन्हें संबंधित राज्यों की सरकारों के पास भेजने का निमित बनेंगे।

12.2 भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्यालय का अपना मुख्यालय इलाहाबाद में है, जिसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, बेलगांव और चैन्नई में हैं। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों और राष्ट्रीय स्तर पर तय सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आई शिकायतों के उन मामलों को निपटाता है जो उसकी जानकारी में आते हैं अथवा भाषायी अल्पसंख्यकों, राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के उच्चतम स्तर के राजनैतिक और प्रशासनिक समूहों, संघों द्वारा उनकी जानकारी में लाए जाते हैं तथा उन मामलों के संबंध में उपचारी कार्रवाई की सिफारिश करता है।

12.3 भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त ने जुलाई, 2005 से जून, 2006 तक की अवधि से संबंधित 44वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अध्याय 13

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

प्रस्तावना

13.1 भारत सरकार ने जनवरी, 1978 में, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए कार्यपालिक आदेश के माध्यम से ''अल्पसंख्यक आयोग'' गठित किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधि ानियम, 1992 के अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया और इसे ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग'' का नाम दिया गया। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।

13.2 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4 के अनुसार पहले सांविधिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था जिसमें प्रत्येक सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए सदस्य होगा।

13.3 भारत सरकार ने, 23 अक्टूबर 1993 की अधिसूचना के अनुसार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत पाँच धार्मिक समुदायों अर्थात मुसलमानों, ईसाईओं, सिखों, बौद्धों तथा पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया है।

आयोग के कार्य

13.4 आयोग के मुख्य कार्य, अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबंधित और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधियों में दिए गए रक्षोपायों के कार्यकरण को मानीटर करना और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। यह आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर

अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करता है और अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षापायो के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश भी करता है।

आयोग की वर्तमान संरचना

13.5 वर्तमान आयोग का गठन दिनांक 03 मार्च 2006 को किया गया था। बाद में, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) ए.एम.सेठना के निधन के बाद डॉ0 (सुश्री) महरू धुनजीशाह बंगाली ने 11 अप्रैल, 2007 को आयोग के सदस्य पद का कार्यभार संभाला। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, अध्यक्ष ने 20 जुलाई, 2007 को त्याग पत्र दिया। इसके बाद श्री मोहम्मद शफी कुरैशी ने दिनांक 03 सितम्बर, 2007 को आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। वर्तमान आयोग में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1.	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	:	अध्यक्ष
2.	श्री माइकल पी. पिंटो	:	उपाध्यक्ष
3.	वेन. लामा कोसफेल जोत्पा	:	सदस्य
4.	श्री हरचरण सिंह जोश	:	सदस्य
5.	डॉ. दिलीप पाडागोंकर	:	सदस्य
6.	प्रो. जोया हसन	:	सदस्य
7.	डॉ (सुश्री) महरू धुनजीशाह बंगाली	:	सदस्य

आयोग की वार्षिक रिपोर्टें

13.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट स्वयं तैयार करता है और मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। इस अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, और इसमें उल्लिखित केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन, इन सिफारिशों में से किसी सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के कारणों सहित, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी होती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9 (3) के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सिफारिशों को आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें भेजा जाता है।

13.7 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वर्ष 1992–93 से 2005–06 से संबंधित तेरह वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की है। अल्पसंख्यक आयोग की पहली तीन वार्षिक रिपोर्टें, की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित,

इस मंत्रालय के सृजन से पहले संसद के दोनों सदनों में पेश की गई थी। सात वार्षिक रिपोर्टें, अनुवर्ती कार्रवाई ज्ञापन सहित, वर्ष 2006–07 के दौरान संसद में प्रस्तुत कर दी गई हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों में निम्नलिखित वार्षिक रिपोर्टो को प्रस्तुत किया है :–

क्रम सं.	वर्ष	वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	
		राज्य सभा में	लोक सभा में
1.	2004–2005	07.05.2007	17.05.2007
2.	1998–1999	14.05.2007	17.05.2007
3.	2005–2006	13.08.2007	16.08.2007

अब संसद में प्रस्तुत किए जाने के लिए कोई रिपोर्ट शेष नहीं है।

राज्य अल्पसंख्यक आयोग

13.8 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तामिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 13 राज्य सरकारों ने सांविधिक आयोगों का गठन कर लिया है। मणिपुर और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने असांविधिक आयोगों का गठन किया है। शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन करने का अनुरोध किया गया है।

13.9 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने नई दिल्ली में 16 जनवरी, 2008 को राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के छठे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया।

संविधान का एक सौ तीनवां (संशोधन) विधेयक, 2004

13.10 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 तथा संविधान का एक सौ तीनवां (संशोधन) विधेयक, 2004, लोक सभा में दिसम्बर 2004 में पेश किया गया था। उपर्युक्त विधेयकों की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए इन विधेयकों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता की स्थायी समिति को भेजा गया था। इस स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 2006 को प्रस्तुत की थी। इस विधेयक से संबंधित शासकीय संशोधनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अध्याय 14

वक्फ् प्रशासन और केन्द्रीय वक्फ् परिषद

14.1 यह मंत्रालय वक्फ् अधिनियम, 1995 (पहले वक्फ् अधिनियम, 1954) के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, इस अधिनियम को 01 जनवरी, 1996 को लागू किया गया। यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। बाईस राज्यों ने इस अधिनियम के तहत वक्फ् बोर्ड गठित कर लिया है।

केन्द्रीय वक्फ् परिषद

14.2 वक्फ् अधिनियम के तहत दिसम्बर, 1964 में स्थापित केन्द्रीय वक्फ् परिषद एक सांविधिक निकाय है। इस परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रभारी केन्द्रीय मंत्री हैं, और भारत सरकार द्वारा नियुक्त परिषद में अधिक से अधिक 20 सदस्य होते हैं। केन्द्रीय वक्फ् परिषद का सचिव, परिषद का मुख्य कार्यकारी होता है। केन्द्रीय वक्फ् परिषद का मुख्य कार्य, वक्फ् बोर्ड की कार्य प्रणाली से संबंधित मामलों तथा देश में वक्फ् के समुचित प्रशासन से सम्बद्ध मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना है।

14.3 केन्द्रीय वक्फ् परिषद की बैठक वर्ष में दो बार होती है। हालांकि परिषद की विभिन्न समितियां जितनी बार संभव हो पाता है, बैठक करती हैं, ताकि कार्यक्रमों की निगरानी, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों, शहरी वक्फ् संपत्तियों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं व शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कार्रवाई की जा सके। समितियां, सौंपे गए कार्यों को समय–समय पर परिषद के माध्यम से पूरा करती हैं।

14.4 वक्फ् अधिनियम, 1995 की धारा 10(1) के अनुसार, परिषद विभिन्न राज्य वक्फ् बोर्डों द्वारा वक्फ्ों की निवल आय के 1 प्रतिशत की दर से इसे प्रदान किए गए अंशदान से अपनी आय प्राप्त करती है। परिषद के सभी प्रशासनिक और अन्य खर्चों की पूर्ति इसी आय से की जाती है।

केन्द्रीय वक्फ् परिषद द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं

14.5 केन्द्र सरकार को वक्फ् से संबंधित मामलों पर परामर्श देने के अलावा केन्द्रीय वक्फ् परिषद को शहरी वक्फ् संपत्तियों के विकास और समुदाय के शैक्षिक विकास संबंधी योजनाओं को प्रारम्भ करने का कार्य भी सौंपा गया है। इसका ब्यौरा इस प्रकार हैः–

(i) शहरी वक्फ् संपत्तियों के विकास संबंधी योजना

खाली पड़ी वक्फ् भूमि को अधिक्रमणों से बचाने तथा इसके विकास के लिए अधिक से अधिक आय प्राप्त करने, ताकि वक्फ् के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सके, को ध्यान में रखते हुए, परिषद इस योजना को 1974–75 से चला रही है और केन्द्र सरकार इसके लिए वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न वक्फ् संस्थानों को वक्फ् भूमि पर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य परियोजनाएं यथा वाणिज्यिक परिसर, मैरिज हॉल, अस्पताल, शीतागार आदि शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 29 फरवरी, 2008 तक 32.04 करोड़ रू0 की सहायता अनुदान राशि जारी की है। परिषद ने अब तक 119 परियोजनाओं के लिए 30.48 करोड़ रू0 के ऋण प्रदान किए हैं।

(ii) वक्फ् संपत्तियों के विकास के लिए रिवाल्विंग फंड से ऋण

ऋण लेने वाले संस्थानों द्वारा परिषद को वापस चुकाई गई ऋण राशि से परिषद का रिवाल्विंग फंड निर्मित होता है, जिसे वक्फ् भूमि पर गौण विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए पुनः प्रयोग में लाया जाता है।

शैक्षिक कार्यक्रम

14.6 परिषद द्वारा प्राप्त सहायता–अनुदान ऋण प्राप्तकर्ता वक्फ्ों को ब्याजमुक्त ऋण के रूप में शहरी वक्फ् परिसंपत्तियों के विकास के लिए जारी किया जाता है। वक्फों को इस शर्त पर वित्तीय सहायता दी जाती है कि (i) वे परिषद की शैक्षिक निधि के लिए बकाया ऋणों पर 6 प्रतिशत संदान करेंगे तथा (ii) ऋण का भुगतान होने के बाद वे अपनी बढ़ी हुई आय का 40 प्रतिशत मुस्लिमों की शिक्षा, विशेषकर तकनीकी शिक्षा पर व्यय करेंगे।

14.7 शहरी वक्फ् संपत्तियों के विकास के लिए ऋण प्राप्तकर्ता वक्फों से शेष ऋण पर प्राप्त 6 प्रतिशत संदान तथा शैक्षिक निधि से रिवाल्विंग फंड को बैंक जमा पर अर्जित ब्याज का उपयोग निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए किया जाता है :–

(क) तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा पा रहे निर्धन छात्रों को 8000/– रू0 प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति;

(ख) सामान्य पाठ्यक्रमों की शिक्षा के लिए निर्धन एवं जरूरतमंद छात्रों को 3500/–रू0 प्रतिवर्ष का अनुदान;

(ग) सम्बद्ध राज्यों में तकनीकी/व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शिक्षा पा रहे छात्रों तथा उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों, मदरसा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य वक्फ् बोर्डों को तदनुरूप अनुदान;

(घ) मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु अनुदान;

(ड.) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता; और

(च) पुस्तकालयों को पुस्तक संग्रहण (बुक बैंक) के लिए वित्तीय सहायता।

14.8 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 29 फरवरी, 2008 तक परिषद ने व्यावसायिक/तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत 614 छात्रों को 49.12 लाख रू0 की राशि की छात्रवृत्ति; राज्य वक्फ् बोर्डों के माध्यम से 5.20 लाख रू0 का समान अनुदान; 14 आई टी आई व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को 48.44 लाख रू0 की वित्तीय सहायता; और 25 विद्यालयों के पुस्तकालयों को 5 लाख रू0 की वित्तीय सहायता स्वीकृत/संवितरित की है।

अध्याय 15

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

15.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की स्थापना, अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों में आर्थिक गतिविधियों कों बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 सितम्बर, 1994 को की गई थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह निगम दोगुनी गरीबी रेखा से नीचे की पारिवारिक आय वाले अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र लाभग्राहियों को स्वरोजगार क्रियाकलापों के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है।

15.2 एनएमडीएफसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को चालू वित्त वर्ष के दौरान 650 करोड़ रू0 से बढ़ाकर 750 करोड़ रू0 कर दिया गया है। इसमें से केन्द्र सरकार की भागीदारी 487.50 करोड़ रू0 (65%) और राज्य सरकारों की भागीदारी 195 करोड़ रू0 (26%) जबकि शेष 67.50 करोड़ रू0 (9%) का अंशदान अल्पसंख्यक संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने अब तक (29.02.2008 तक) एनएमडीएफसी की इक्विटी में 445.36 करोड़ रू0 का योगदान किया है, जबकि 107.54 करोड़ रू0 का अंशदान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किया गया है।

15.3 लाभग्राहियों तक पहुँच के लिए एनएमडीएफसी के दो चैनल हैं अर्थात् (1) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से और (2) गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) के माध्यम से। एससीए कार्यक्रमों के तहत प्रत्येक लाभग्राही के लिए पाँच लाख रू0 तक की लागत की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए 3% की ब्याज दर पर एससीए को निधि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि लाभार्थियों को 6% की दर से और ऋण दिया जा सके। निगम स्वयं के लिए तथा मजदूरी रोजगार के लिए लक्ष्य समूहों की क्षमता निर्माण के लिए एससीए के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण और शैक्षिक ऋण की योजना को भी कार्यान्वित कर रहा है।

15.4 एनजीओ कार्यक्रम के अंतर्गत 25 हजार रू0 तक के माइक्रो ऋण, एनजीओ के माध्यम से अल्पसंख्यक स्वसहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को दिए जा सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए एनजीओ को 1% की दर से निधि उपलब्ध कराई जाती है, जिसे 5% प्रतिवर्ष की दर से आगे ऋण के रूप में दिया जाता हैं। ऋण देने के कार्यकलापों के अलावा, एनएमडीएफसी, कौशल उन्नयन और विपणन सहायता हेतु प्रशिक्षण में लक्ष्य समूहों को सहायता प्रदान करती है। एनजीओ कार्यक्रम के अंतर्गत स्वसहायता समूहों के उन्नयन और स्थायित्व के लिए ब्याज रहित ऋण (अनुदान के रूप में समायोजित) का भी प्रावधान है।

15.5 एनएमडीएफसी, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से एक शैक्षिक ऋण योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत एनएमडीएफसी, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा जारी रखने के लिए योग्य अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को 3% की रियायती ब्याज दर पर 2,50,000 रू0 तक उपलब्ध कराता है।

उपलब्धियां

15.6 एससीए कार्यक्रम के तहत एनएमडीएफसी ने 2007–08 के दौरान 25 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्र में 2,47,797 लाभार्थियों को 967.35 करोड़ रू0 की वित्तीय सहायता दी है। निगम ने वर्ष 2007–08 के दौरान 29 फरवरी, 2008 तक 23,350 लाभार्थियों को 96.83 करोड़ रू0 संवितरित किए हैं।

15.7 उक्त एनजीओ कार्यक्रम एनएमडीएफसी द्वारा 1998–99 से कार्यान्वित किया जा रहा है। 29 फरवरी, 2008 तक 1,23,210 लाभार्थियों को माइक्रो वित्त योजना के अंतर्गत कुल 56.87 करोड़ रू0 संवितरित किए जा चुके है। चालू वित्त वर्ष 2007–08 में अर्थात् 29 फरवरी, 2008 तक 12,259 लाभार्थियों के लिए एनजीओ/एससीए को 11.33 करोड़ रू0 का माइक्रो ऋण संवितरित किया जा चुका है।

विशेषज्ञ समिति

15.8 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के कार्य कलापों की समीक्षा करने और निगम के संरचनात्मक कार्य–निष्पादन में सुधार के लिए कार्य–योजना का सुझाव देने के लिए व्यावसायिक बैंकरों और वित्त विशेषज्ञों की विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2007 में प्रस्तुत कर दी थी। समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

माननीय मंत्री जी को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण

बंगलादेश मे शिष्टमंडल भेजना

15.9 चालू वित्त वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, तमिलनाडु अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम और पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने बंगलादेश ग्रामीण बैंक, बंगलादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी और पालिकर्मा सहायक फाउंडेशन की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए 03 से 09 नवम्बर, 2007 तक बंगलादेश का दौरा किया। शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

बंगलादेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष और नोबल पुरस्कार विजेता प्रो० मो० युनूस के साथ शिष्टमंडल के सदस्य

अध्याय 16

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान

16.1 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहायता अनुदान देने की एक योजना वर्ष 2007–08 के दौरान शुरू की गई। इस योजना के तहत जागरूकता अभियान, परिदान प्रणाली में सुधार, श्रमिकों को प्रशिक्षण देने और ऋण वसूली के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के मद में आने वाला व्यय केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य क्रमशः 90:10 के अनुपात में वहन किया जाता है तथा निधियां एनएमडीएफसी के माध्यम से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को दो किश्तों में जारी की जाती है।

16.2 दिनांक 29 फरवरी, 2008 तक 20 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सशक्त करने के लिए केन्द्र सरकार के हिस्से की 4.74 करोड़ रू0 की पहली किश्त जारी की जा चुकी है।

सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, एम एम डी एफ सी की एस सी ए के वार्षिक सम्मेलन का संबोधित करते हुए।

अध्याय 17

दरगाह ख्वाज़ा साहिब अधिनियम, 1955 का प्रशासन

17.1 राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक विश्व प्रसिद्ध वक्फ् है। दरगाह का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन दरगाह ख्वाज़ा साहिब अधिनियम, 1955 के अधीन चलाया जा रहा है। नई दरगाह समिति का गठन 24 अगस्त, 2007 को किया गया है।

17.2 दरगाह समिति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में शामिल हैं– तीर्थ यात्रा करने वाले निर्धन यात्रियों को मुफ्त आहार, विधवाओं को गुजारा भत्ता, जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता, मुफ्त चिकित्सा सहायता, बिना दावे वाले शवों का दाह–संस्कार, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय संचालन, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाएं और कम्प्यूटर केन्द्र आदि।

17.3 ख्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती के 795 वें वार्षिक उर्स का आयोजन जुलाई, 2007 में उल्लासपूर्ण ढंग से किया गया। जाति, आस्था और विश्वास का भेदभाव किए बिना इस पवित्र स्थल का लगभग छः लाख तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किया।

अध्याय 18

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

18.1 मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए एक स्वैच्छिक, गैर राजनैतिक, गैर लाभकारी संस्था के रूप में वर्ष 1989 में पंजीकृत किया गया था।

18.2 इस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य सामान्यतः विशेष रूप से शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों और सामान्यतः कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना, बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से उनके लिए विशेष आवासीय स्कूलों की स्थापना करना तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना और शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए अन्य प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।

आम सभा और शासी निकाय

18.3 प्रतिष्ठान की आम सभा में पन्द्रह सदस्य होते हैं, जिनमें छः पदेन सदस्य और नौ नामित सदस्य होते हैं। नामित सदस्यों को प्रतिष्ठान के अध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किया जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मामलों के केन्द्रीय मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष है। प्रतिष्ठान का प्रबंधन शासी निकाय के जिम्मे है।

योजनाएं

18.4 प्रतिष्ठान में, इसके प्रारम्भ होने से ही, छात्रावासों के निर्माण और तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि की जाती रही है, इसमें छात्राओं को अधिक

महत्व दिया जाता है। इस प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न स्कीमें निम्न हैः–

(i) स्कूलों/आवासीय स्कूलों/कालिजों की स्थापना/विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता।

(ii) प्रयोगशाला के उपकरण और फर्नीचर आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।

(iii) व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थानों की स्थापना/सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता।

(iv) हॉस्टलों के भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

(v) मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।

(vi) मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साक्षरता पुरस्कार।

संचित निधि (कोरपस फंड)

18.5 प्रतिष्ठान अपनी संचित निधि पर मिले ब्याज से योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जो इसकी आय का एक मात्र स्रोत है। संचित निधि, प्रतिष्ठान को योजनागत सहायता के भाग के रूप में प्रदान की गई है। प्रतिष्ठान की वर्ष 2007–08 के दौरान संचित निधि 250 करोड़ रू0 है।

उपलब्धियां

18.6 आरम्भ होने से 29 फरवरी, 2008 की अवधि तक, प्रतिष्ठान ने स्कूलों/कालिजों/लड़कियों के छात्रावासों/पोलिटेक्निक/आईटीआई के निर्माण/विस्तार के लिए और उपकरण/मशीनरी/फर्नीचर की खरीद के लिए देश भर में 742 गैर–सरकारी संस्थाओं को 96.58 करोड़ रू0 मंजूर किए हैं तथा 10832 छात्राओं को 10.8 करोड़ रूपये की छात्रवृत्तियां दी है। राज्यवार सहायता अनुदान और छात्रवृत्तियों के विस्तृत ब्यौरे क्रमशः **संलग्नक VI** और **VII** में दिए गए हैं।

18.7 चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रतिवर्ष छात्राओं को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या को प्रति छात्रा 3000 से बढ़ाकर 6000 तथा धनराशि को 10,000 रू0 से बढ़ाकर 12,000 रू0 कर दिया गया है।

18.8 सुचारू कार्य संचलन तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए गए हैं :–

(i) स्टाफ के पुनर्गठन के माध्यम से संगठनात्मक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है ;

(ii) बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिष्ठान के सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है;

(iii) प्रतिष्ठान को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है, जिस पर आन लाईन आवेदन करने की सुविधा और आवेदनों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी; और

(iv) प्रतिष्ठान ने स्वयं की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए संगठन अनुसंधान ग्रुप (आर्गेनाइजेशन रिसर्च ग्रुप) प्रा0 लि0 को नियुक्त किया था। इस ग्रुप ने अपनी रिपार्ट नवम्बर, 2007 में प्रस्तुत कर दी है। मूल्यांकन अध्ययन में की गई अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

अध्याय 19

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

19.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ख) के प्रावधानों के अनुसरण में इस मंत्रालय ने सर्वसाधारण के मार्गदर्शन और सूचना के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित की है। यह मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। इस पुस्तिका में मंत्रालय के संगठनात्मक ढ़ांचे, मंत्रालय के अधिकारियों के कार्यकलाप और कर्त्तव्य, मंत्रालय में उपलब्ध अभिलेखों और प्रलेखों से संबंधित सूचना उपलब्ध है। पुस्तिका में मंत्रालय तथा इसके विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित सूचना भी उपलब्ध है।

19.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मंत्रालय से सम्बद्ध सभी विषयों के लिए श्री वीरेन्द्र सिंह, उप सचिव को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया है। श्री सुजीत दत्ता, संयुक्त सचिव को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

19.3 दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से 29 फरवरी, 2008 तक की अवधि के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 124 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 121 का उत्तर दे दिया गया है। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के संबंध में प्राप्त सभी 6 अपीलों को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निस्तारित कर दिया गया है।

अध्याय 20

उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन

20.1 मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष के लिए विभिन्न योजनागत योजनाओं के लिए 500 करोड़ रू0 आबंटित किया गया है। इसमें से 45 करोड़ रू0 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किए गए है। योजनावार आबंटन इस प्रकार है :–

(i)	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	7.00 करोड़ रू0
(ii)	अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना	1.00 करोड़ रू0
(iii)	प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन निगरानी और मूल्यांकन की योजना	0.60 करोड़ रू0
(iv)	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान	1.00 करोड़ रू0
(v)	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	5.40 करोड़ रू0
(vi)	अल्पसंख्यक बहुल 90 चुनिन्दा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	12.00 करोड़ रू0
(vii)	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	8.00 करोड़ रू0
(viii)	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	10.00 करोड़ रू0

20.2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवास कर रहे अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम विशेष ध्यान देता है। एन एम डी एफ सी की स्कीमें उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू की जा रही हैं, किन्तु ये स्कीमें अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम राज्यों में लागू नहीं है। राज्य की चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से सावधि और माइक्रो ऋण योजना के तहत 29 फरवरी, 2008 तक सम्पूर्ण देश में अल्पसंख्यकों को दिए गए 1024.16 करोड़ रूपये के ऋण में उत्तर पूर्वी राज्यों का हिस्सा 80.72 करोड़ रूपये (7.88 प्रतिशत) रहा है। चालू वर्ष में देश के लिए 180 करोड़ रू0 के कुल आबंटन में से 29 फरवरी, 2008 तक 16.50 करोड़ रू0 (9. 16 प्रतिशत) का आबंटन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किया गया है, जिसमें से 6.77 करोड़ रू0 जारी किया जा चुका है।

20.3 मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने दिनांक 29 फरवरी, 2008 तक पूर्वोत्तर राज्यों में 16 गैर–सरकारी संगठनों को 280.00 लाख रू0 का अनुदान स्वीकृत किया है। चालू वित्त वर्ष में 29.02. 2008 तक प्रतिष्ठान ने दो गैर–सरकारी संगठनों को विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 25.00 लाख रू0 की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

अध्याय 21

महिला–पुरूष संबंधी मुद्दे

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

21.1 एनएमडीएफसी महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान देता है। यह निगम अल्पसंख्यक समुदायों की निर्धन महिलाओं के लिए माइक्रो वित्त योजना चला रहा है। निगम के माइक्रो वित्त योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को गैर–सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है। एनएमडीएफसी ने 29.02.2008 तक 1,23,210 लाभार्थियों को 56.87 करोड़ रू0 का माइक्रो ऋण उपलब्ध कराया है। लगभग 85 प्रतिशत लाभभोगी महिलाएं हैं।

महिला समृद्धि योजना

21.2 एनएमडीएफसी ने महिला समृद्धि योजना भी लागू की है, जिसके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद माइक्रो ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को छः माह का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद आय सृजन संबंधी कार्य शुरू करने के लिए 4 प्रतिशत ब्याज की दर से 25,000 रू0 तक का माइक्रो ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान

21.3 प्रतिष्ठान द्वारा मेधावी छात्राओं के लिए वर्ष 2003–04 में शुरू की गई ''मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना'' के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययन के दौरान 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ताकि छात्राएं विद्यालय/कालिज शुल्क पाठ्यपुस्तक/लेखन सामग्री/पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद कर सकें और भोजन और आवास के लिए किए गए व्यय का भुगतान कर सकें। वर्ष 2007–08

से प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों को प्रतिवर्ष 3000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया गया है तथा इसी प्रकार राशि को प्रति छात्रा 10,000 रू0 से बढ़ाकर 12,000 रू0 कर दिया गया है। प्रतिष्ठान ने 29 फरवरी, 2008 तक छात्राओं को 10832 छात्रवृत्तियां स्वीकृत की हैं।

अल्पसंख्यकों के लिए अनन्य छात्रवृत्ति योजनाएं

21.4 अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए तीन विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अर्थात् स्नात्तक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति, 11वीं कक्षा से पी.एचडी. तक की उच्चतर शिक्षा तथा 11वीं और 12वीं स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना। इन तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत उपलब्ध कुल छात्रवृत्तियों में से 30 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं के लिए निर्धारित है। मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत 29 फरवरी, 2008 तक स्वीकृत छात्रवृत्तियों में से 42 प्रतिशत से अधिक छात्रवृत्तियां छात्राओं को प्रदान की गई हैं।

अनुबंध–I

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में संस्वीकृत कार्मिक संख्या और रिक्त पदों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
01.	सचिव	01	01	शून्य
02.	संयुक्त सचिव	03	03	शून्य
03.	निदेशक/उप सचिव	05	05	शून्य
04.	संयुक्त निदेशक	01	00	01
05.	अवर सचिव	05	05	शून्य
06.	अनुसंधान अधिकारी	01	00	01
07.	सहायक निदेशक	03	02	01
08.	निजी सचिव	03	00	03
09.	सहायक निदेशक(राजभाषा)	01	00	01
10.	अनुभाग अधिकारी	05	05	शून्य
11.	प्रधान निजी सचिव	01	01	शून्य
12.	सहायक	10	10	शून्य
13.	वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेशक	04	00	04
14.	वरिष्ठ अन्वेषक	04	02	02
15.	लेखाकार	01	00	01
16.	आशुलिपिक ग्रेड 'ग'	07	07	शून्य
17.	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	01	01	शून्य
18.	आशुलिपिक ग्रेड 'घ'	05	05	शून्य
19.	प्रवर श्रेणी लिपिक/ अवर श्रेणी लिपिक	08	01	07
20.	स्टाफ कार ड्राइवर	02	02	शून्य
21.	चपरासी	14	10	04
	कुल	**85**	**60**	**25**

vYila[;d dk;Z ea=ky; dk laxBukRed pkVZ

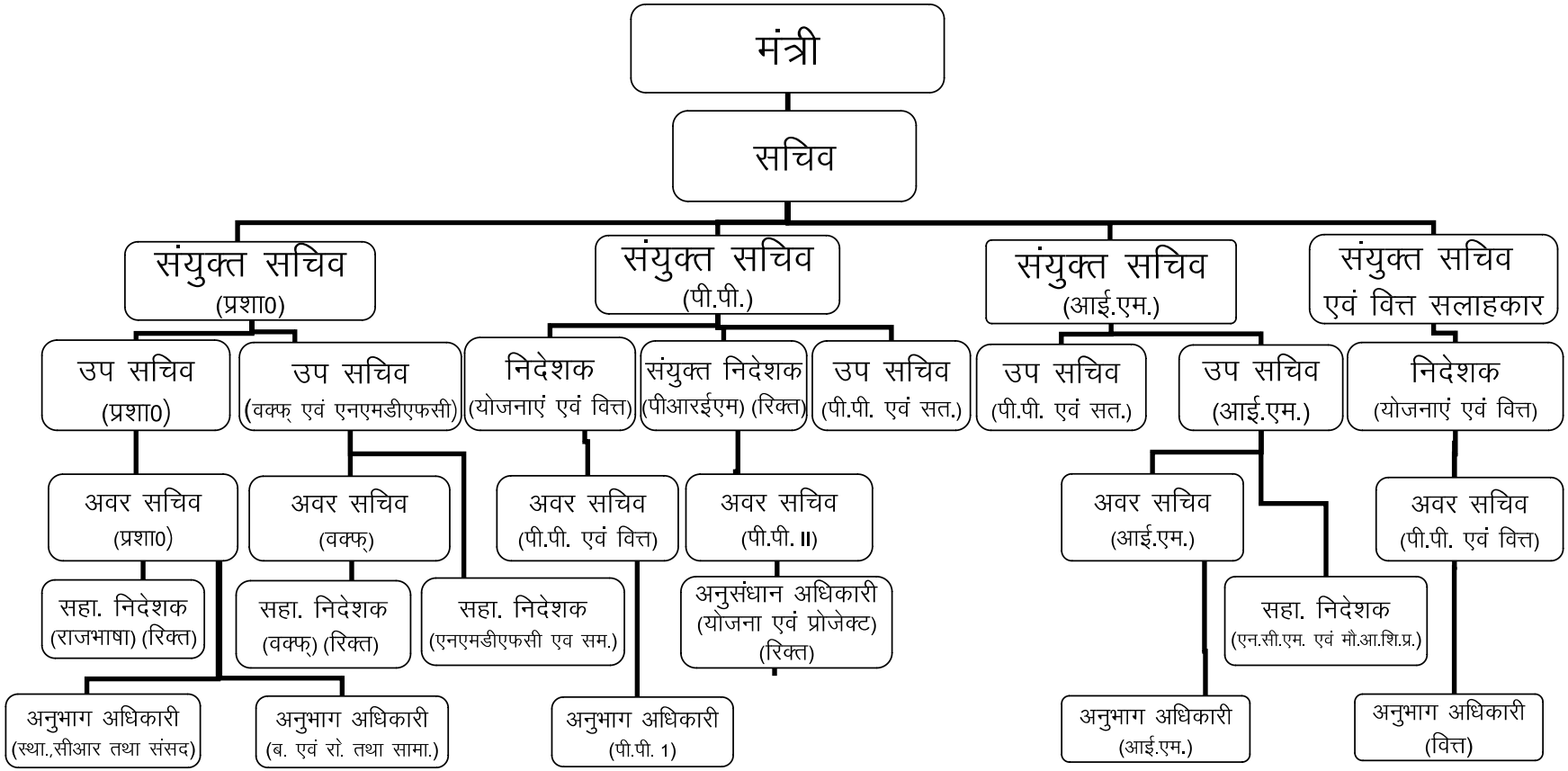

प्रशा0	: प्रशासन ,
सहा. निदेशक	: सहायक निदेशक
ब. एवं रो.	: बजट एवं रोकड़
सम.	: समन्वय
सीएलएम	: भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त
स्था.	: स्थापना
एनएमडीएफसी	: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
सामा.	: सामान्य
आई.एम.	: संस्थान एवं मीडिया
एनसीएम	: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
पी.पी.	: योजनाएं एवं कार्यक्रम
पीआरईएम	: योजनाएं, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं निगरानी,
सत.	: सतर्कता
मौ.आ.शि.प्र.	: मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

अनुबंध–III

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वर्ष 2007–08 के बजट अनुमानों में कार्यक्रम/स्कीमवार आबंटन दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	कार्यक्रम/स्कीम	योजनागत	योजनेतर	कुल
1.	सचिवालय	–	3.91	3.91
2.	अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध सहायता की स्कीम	10.00	–	10.00
3.	मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान	50.00	–	50.00
4.	अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी एवं मूल्यांकन की योजना–व्यावसायिक सेवाएं	6.00	–	6.00
5.	एनएमडीएफसी के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान	10.00	–	10.00
6.	वक्फ् को सहायता अनुदान	–	2.90	2.90
7.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	–	4.40	4.40
8.	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	–	1.43	1.43
9.	राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग	–	0.19	0.19
10.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	54.00	–	54.00
11.	अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास योजना	120.00	–	120.00
12.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	80.00	–	80.00
13.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	100.00	–	100.00
14.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	70.00	–	70.00
	योग	**500.00**	**12.83**	**512.83**

अनुबंध–IV

श्री ए.आर. अंतुले, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा ''सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई'' विषय पर दिनांक 31 अगस्त, 2007 को संसद के दोनों सदनो में दिया गया वक्तव्य

भारत में मुसलमान समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के बारे में चूंकि प्रमाणित सूचना का अभाव था, इस विषय पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में दिनांक 09 मार्च, 2005 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों और शैक्षिक निकायों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, युवाओं और केन्द्र सरकार के विशेष संगठनों और निकायों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर रिपोर्ट तैयार की गई थी।

2. इस उच्च स्तरीय समिति (जिसे सच्चर समिति के नाम से जाना जाता है) ने अपनी रिपोर्ट 17 नवम्बर, 2006 को प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में 30 नवम्बर, 2006 को पेश की गई थी।

3. सच्चर समिति ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति के बारे में एकदम वास्तविकता उजागर की थी। सच्चर समिति के मुख्य निष्कर्ष अनुबंध में दिए गए हैं।

4. सच्चर समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में एक निर्णय लिया गया है। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

(i) पहचान किए गए 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में जो विभिन्न विकासात्मक मानदंडों के अर्थों में पिछड़े हैं, उनमें मूल सुविधाओं और आर्थिक अवसरों में सुधार के लिए लक्षित हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव है।

(ii) अल्पसंख्यकों की जनसंख्या वाले पहचान किए गए 338 नगरों एवं शहरों में नागरिक सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों में कमी में सुधार करने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे। इस संबंध में समुचित कार्यनीतियों की सिफारिश करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी कार्यबल इस पर पहले ही काम कर रहा है।

(iii) मुस्लिम समुदाय में कौशल और उद्यमीय विकास तथा अल्पसंख्यकों को आसान एवं सुचारू ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की योजना बनाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समूह गठित किया गया है। मुसलमान समुदाय, विशेषकर जो शिल्पकारी कार्यकलापों में कार्यरत हैं, की पर्याप्त संख्या वाले कलस्टरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। समूह द्वारा विचार-विमर्श आरम्भ कर दिया गया है।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मुसलमानों की बहुलता वाले क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोलेंगे, वित्तीय संस्थाएं अल्पसंख्यकों में, विशेषकर महिलाओं में माइक्रो वित्त को बढ़ावा देंगी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदनों के निपटान की निगरानी करेंगे और उन्हें अस्वीकार किए जाने के कारणों का उल्लेख करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी वेबसाइट पर आवेदनों के निपटान से संबंधित जिलावार और बैंकवार आंकड़े रखेगा तथा उनकी नियमित रूप से निगरानी करेगा। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ये आंकड़ें सुलभ हो सकते हैं। इस बात के प्रयास किए जाएंगे कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र, अल्पसंख्यकों को तीन वर्ष के अंतर्गत वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 15% तक ऋण उपलब्ध कराएं।

(v) मुसलमान समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए एक बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई जाएगी। उच्च प्राइमरी स्कूलों की आउटरीच को, विशेषकर मुस्लिम लड़कियों के लिए बढ़ाया जाएगा, और जहां आवश्यक होगा, ''केवल लड़कियों के स्कूल'' खोले जाएंगे, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में और अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाएंगे; मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी, मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले जिलों में एक विशेष साक्षरता अभियान चलाया जाएगा, ऐसे क्षेत्रों में प्राइमरी, उच्च प्राइमरी और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए खंड शिक्षक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाएगी, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में महिला हॉस्टल खोलने के लिए अतिरिक्त आबंटन किया जाएगा, मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित करके इसके सहायता के पात्र घटकों को बढ़ाया जाएगा,

दोपहर के भोजन की योजना का, विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम बहुल खंडों में, विस्तार किया जाएगा, और उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए मदरसों से प्राप्त योग्यता की समानता के प्रश्न का समाधान किया जाएगा ।

(vi) अल्पसंख्यकों के लिए विशेषकर तीन छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रस्ताव है। अल्पसंख्यक समुदायों के 20,000 विद्यार्थियों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मैरिट-एवं-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर दो छात्रवृत्ति योजनाएं शीघ्र शुरू की जाएंगी। अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध बच्चों के नियोजन तथा शैक्षिक निष्पादन में सुधार के लिए एक संशोधित कोचिंग एवं उपचारी ट्यूशन योजना स्वीकृत कर दी गई है। सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्जनिक क्षेत्र के बैंकों आदि में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए पहले ही दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं । मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संग्रह निधि को बढ़ाकर उसके कार्यों का विस्तार कर उसे कारगर बनाया जाएगा ।

(vii) अल्पसंख्यक बहुलता वाले जिलों, खंडों, नगरों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजनाओं से संबंधित सूचना का प्रचार - प्रसार उर्दू तथा क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा ।

(viii) वर्तमान त्रुटियों/कमियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम का एक व्यापक संशोधन शीघ्र अति शीघ्र प्रस्तावित है ।

(ix) वक्फ संपत्तियों के विकास में एक उपयुक्त एजेन्सी शीघ्र ही सहायता करेगी ताकि बढ़ी हुई आय का उपयोग अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए किया जा सके ।

(x) सभी कार्मिकों, जैसे सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारियों को विविधता एवं सामाजिक समावेश के महत्व पर सुग्राही बनाया जाएगा ।

(xi) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से शुरुआत करके, अन्य विश्वविद्यालयों में नागरिक अधिकार केन्द्र खोले जाएंगे ।

(xii) परिसीमन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व में विसंगतियों के संबंध में सच्चर समिति द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं पर समिति द्वारा विचार किया गया है।

(xiii) भेद-भाव संबंधी शिकायतों को देखने के लिए समान अवसर आयोग के गठन का सिद्धांत रूप से निर्णय किया गया है । एक विशेषज्ञ समूह इसका अध्ययन करेगा और इस समान अवसर आयोग के ढांचे एवं कार्यों की सिफारिश करेगा ।

(xiv) शैक्षिक संस्थाओं, कार्यस्थलों और रहने के स्थानों में विविधता एवं सामाजिक समावेश बढ़ाने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन कर दिया गया है, जो एक समुचित ''विविधता सूचक'' का प्रस्ताव करेगा । ऐसा सूचक उक्त सभी तीनों क्षेत्रों में अच्छे प्रतिनिधित्व के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक आधार बन सकता है ।

(xv) एक राष्ट्रीय डाटा बैंक और एक स्वायत्त मूल्यांकन एवं निगरानी प्राधिकरण शीघ्र ही स्थापित किए जाएंगे जो इस प्रकार से सृजित डाटा का विश्लेषण करके निरंतर आधार पर सरकार को उचित नीतियों का सुझाव देंगे ।

परिशि-ट

सच्चर समिति के मुख्य निष्कर्ष

(i) शिक्षा :

(क) मुसलमानों में साक्षरता दर 59.1%, थी जो 64.8% के राष्ट्रीय औसत से नीचे थी।

(ख) स्कूली शिक्षा के वर्ष, सभी बच्चों के औसत स्कूली शिक्षा के वर्षों की तुलना में कम हैं।

(ग) 6-14 वर्ष आयु वर्ग के 25% मुसलमान बच्चे या तो कभी भी स्कूल नहीं गए हैं अथवा उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है।

(घ) अधिकांश मुसलमान लड़के और लड़कियां अपनी मैट्रिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं अथवा उससे पहले छोड़ देते हैं।

(ङ) 20 वर्ष या अधिक आयु की जनसंख्या के लगभग 7% की तुलना में 4% से भी कम मुसलमान स्नातक अथवा डिप्लोमा धारक हैं।

(च) सभी जगह मुसलमान महिलाओं और लड़कियों में शिक्षा प्राप्त करने की एक बड़ी इच्छा एवं उत्साह है।

(छ) मुसलमान इलाकों में प्राइमरी स्तर से अधिक के स्कूल बहुत कम हैं। लड़कियों के लिए अनन्य रूप से स्कूल भी कुछ ही हैं।

(ज) हॉस्टल सुविधाओं का अभाव, विशेषकर लड़कियों के लिए, एक सीमित करने वाला कारक है।

(झ) मुसलमान माता-पिता आधुनिक या मुख्य धारा की शिक्षा देने और समर्थ सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के विरुद्ध नहीं हैं। वे आवश्यक रूप से बच्चों को मदरसों में भेजने

को प्राथमिकता नहीं देते। तथापि, मुसलमानों के बच्चों की सरकारी स्कूलों तक पहुंच सीमित है।

(ii) कौशल विकास :

(क) स्कूली शिक्षा पूरी न करने वालों, विशेष रूप से मुसलमानों के कुछ वर्गों के व्यावसायिक ढांचे को देखते हुए, के लिए कौशल विकास पहलें सहायक हो सकती हैं।

(ख) निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में कौशल की मांग निरंतर बदल रही है और मिडिल शिक्षा प्राप्त युवा, इन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे ।

(ग) उदारीकरण को देखते हुए नवीन पुनः कौशल तथा व्यावसायिक ढ़ाँचे के उन्नयन के लिए एक पुनर्वास पैकेज को एक तत्काल आवश्यकता के रूप में देखा जाता है ।

(iii) रोजगार और आर्थिक अवसर :

(क) मुसलमानों की आय का मुख्य स्रोत स्वरोजगार है । वे अन्यों की तुलना में स्वरोजगार निर्माण तथा ट्रेड कार्यकलापों में अधिक कार्यरत हैं ।

(ख) फेरी के काम में कार्यरत मुसलमान कामगारों का हिस्सा अधिकतम है । 8 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत की तुलना में 12 प्रतिशत से अधिक मुसलमान पुरुष कामगार, फेरी के काम में कार्यरत हैं ।

(ग) सभी कामगारों की 51 प्रतिशत की तुलना में स्वयं अपने घरों में काम आरंभ करने वाली मुस्लिम महिला कामगारों की प्रतिशतता 70 प्रतिशत तक है ।

(घ) तम्बाकू और वस्त्र/आभूषण से संबंधित उद्योगों में कार्यरत कुल कामगारों में मुसलमानों का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है ।

(ङ) उत्पादन से संबंधित कार्यकलापों और परिवहन उपकरण प्रचालन में सभी कामगारों के 21% के मुकाबले में, मुसलमान कामगारों का हिस्सा बहुत अधिक अर्थात 34% तक है।

(च) 16 प्रतिशत से अधिक मुसलमान बिक्री कामगार के रूप में कार्यरत थे, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग केवल 10 प्रतिशत थी ।

(छ) उत्पादन और बिक्री से संबंधित व्यवसायों में मुसलमान कामगारों की भागीदारी तुलनात्मक रूप से अधिक है, व्यावसायिक, तकनीकी, लिपिकीय तथा कुछ सीमा तक प्रबंधन कार्य में उनकी भागीदारी तुलनात्मक रूप से कम थी।

(ज) मुसलमान प्रायः, अर्थ व्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें उदारीकरण का समाघात सहन करना पड़ता है।

(झ) अन्य सामाजिक - धार्मिक वर्गों के कामगारों की तुलना में नियमित वेतनभोगी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी बहुत कम है।

(ञ) मुसलमान,काम की शर्तों के निबंधनों के अनुसार अधिक असुरक्षित हैं क्योंकि औपचारिक क्षेत्र रोजगार में उनका सकेन्द्रण अधिक है तथा नियमित कामगारों में मुसलमानों की नौकरी की शर्तें अन्य सामाजिक-धार्मिक समुदायों से कम हैं।

(ट) बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पाने वाले घरों की प्रतिशतता उन गांवों में बहुत कम है, जहां मुसलमान जनसंख्या का हिस्सा अधिक है।

(iv) गरीबी और विकासः

(क) शहरी क्षेत्रों में लगभग 38% और ग्रामीण क्षेत्रों में 27% मुसलमान, गरीबी स्तर से नीचे रहते हैं।

(ख) मुसलमान, कम ढ़ाचागत सुविधाओं वाले स्थानों में सकेन्द्रित हैं। यह उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, परिवहन आदि जैसी मूल सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करता है।

(ग) अधिक मुसलमान जनसंख्या वाले छोटे गांवों के लगभग एक तिहाई ग्रामों में कोई शैक्षिक संस्था नहीं है।

(घ) मुसलमान बहुलता वाले बड़े गांवों में चिकित्सा सुविधाओं की बहुत कमी है। पर्याप्त मुस्लिम जनसंख्या वाले बड़े गांवों के लगभग 40% गांवों में कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं।

(ङ) मुस्लिम बहुल गांवों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है।

(च) देश में मुसलमानों की तुलनात्मक वंचना से संबंधित नीतियों को, विविधता का सम्मान करते हुए, समावेशी विकास और समुदाय को मुख्य धारा में लाने पर केन्द्रित होना चाहिए।

(v) सामाजिक स्थितियाँ –

(क) कम शैक्षिक उपलब्धि के लिए एक समुदाय विशिष्ट कारण यह है कि मुसलमान, शिक्षा को औपचारिक रोजगार के रूप में नहीं देखते हैं ।

(ख) अन्य सामाजिक - धार्मिक समुदायों की तुलना में मुसलमान जनसंख्या एक अच्छे लिंग अनुपात को दर्शाती है ।

(ग) मुसलमानों में शिशु और बाल मृत्यु दर औसत से थोड़ी नीचे है ।

(घ) मुसलमानों सहित सभी धार्मिक समूह में प्रजनन में बहुत कमी आई है ।

अनुबंध V

अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिला
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	निकोबार
2.	अरूणाचल प्रदेश	पूर्वी कामेंग
3.	अरूणाचल प्रदेश	निम्न सुबांश्री
4.	अरूणाचल प्रदेश	चांगलांग
5.	अरूणाचल प्रदेश	तिराप
6.	अरूणाचल प्रदेश	तवांग
7.	अरूणाचल प्रदेश	पश्चिम कामेंग
8.	अरूणाचल प्रदेश	पप्पुम पेरे
9.	असम	उत्तरी कछार पहाड़ी
10.	असम	कोकराझार
11.	असम	धुबरी
12.	असम	ग्वालपाड़ा
13.	असम	बोंगइगांव
14.	असम	बारपेटा
15.	असम	दारंग
16.	असम	मारीगांव
17.	असम	नौगांव
18.	असम	कछार
19.	असम	करीमगंज
20.	असम	हेलाकांड़ी

21.	असम	कामरूप
22.	बिहार	अररिया
23.	बिहार	किशनगंज
24.	बिहार	पुर्णिया
25.	बिहार	कटिहार
26.	बिहार	सीतामढ़ी
27.	बिहार	पश्चिम चंपारन
28.	बिहार	दरभंगा
29.	दिल्ली	उत्तर पूर्वी
30.	हरियाणा	गुड़गांव
31.	हरियाणा	सिरसा
32.	जम्मू और कश्मीर	लेह (लद्दाख)
33.	झारखंड	रांची
34.	झारखंड	गुमला
35.	झारखंड	साहेबगंज
36.	झारखंड	पकोड़
37.	कर्नाटक	गुलबर्ग
38.	कर्नाटक	बीदर
39.	केरल	वेयनाड़
40.	मध्यप्रदेश	भोपाल
41.	महाराष्ट्र	बुलदाना
42.	महाराष्ट्र	वासिम
43.	महाराष्ट्र	हिंगोली
44.	महाराष्ट्र	परभानी
45.	मणिपुर	सेनापति

46.	मणिपुर	तमेंगलांग
47.	मणिपुर	चूरा चांदपुर
48.	मणिपुर	उखरूल
49.	मणिपुर	चंदेल
50.	मणिपुर	थाउबल
51.	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स
52.	मिजोरम	लांगटलाई
53.	मिजोरम	ह्मामित
54.	सिक्किम	उत्तर
55.	उड़ीसा	गाजापट्टी
56.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
57.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर
58.	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर
59.	उत्तर प्रदेश	मेरठ
60.	उत्तर प्रदेश	बागपत
61.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
62.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर
63.	उत्तर प्रदेश	बदायूं
64.	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी
65.	उत्तर प्रदेश	खीरी
66.	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर
67.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद
68.	उत्तर प्रदेश	रामपुर
69.	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबाफूले नगर
70.	उत्तर प्रदेश	बरेली

71.	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
72.	उत्तर प्रदेश	बहराइच
73.	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
74.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
75.	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर
76.	उत्तर प्रदेश	बिजनौर
77.	उत्तराखंड	उधमसिंह नगर
78.	उत्तराखंड	हरिद्वार
79.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर
80.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर
81.	पश्चिम बंगाल	ह्मालदा
82.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद
83.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम
84.	पश्चिम बंगाल	नाडिया
85.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना
86.	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमान
87.	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार
88.	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
89.	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना
90.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

अनुबंध VI

मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान

29.02.2008 तक संस्वीकृत सहायता अनुदान का राज्यवार सारांश

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सस्वीकृत राशि (रू० लाखों में)	एन.जी.ओ. की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार	10.00	1
2.	आंध्र प्रदेश	597.30	39
3.	असम	170.00	9
4.	बिहार	457.02	30
5.	दिल्ली	174.55	15
6.	गोवा	53.00	3
7.	गुजरात	664.12	46
8.	हरियाणा	122.60	10
9.	जम्मू और कश्मीर	201.42	13
10.	झारखंड	78.00	5
11.	कर्नाटक	800.67	56
12.	केरल	755.50	39
13.	मध्य प्रदेश	317.28	30
14.	महाराष्ट्र	1123.64	85
15.	मणिपुर	110.00	7
16.	उड़ीसा	37.62	7
17.	पंजाब	61.67	6
18.	राजस्थान	247.50	16
19.	तमिलनाडु	269.28	19
20.	उत्तराखंड	65.00	5
21.	उत्तर प्रदेश	2960.86	274
22.	पश्चिम बंगाल	381.40	27
	कुल	**9658.43**	**742**

अनुबंध–VII

वर्ष 2003–04, 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा मेधावी छात्राओं के लिए संस्वीकृत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार छात्रवृत्तियां दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या				2006–07 तक स्वीकृत कुल छात्रवृत्तियां
		2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	
1.	अंडमान एवं निकोबार	0	0	4	0	4
2.	आंध्र प्रदेश	53	110	145	111	419
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4.	असम	2	81	131	115	329
5.	बिहार	2	178	221	342	743
6.	चंडीगढ़	0	9	0	0	9
7.	छत्तीसगढ़	8	0	12	2	22
8.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0
9.	दमन व दीव	0	0	0	0	0
10.	गोवा	0	8	6	0	14
11.	गुजरात	0	505	77	391	973
12.	हरियाणा	8	5	0	4	17
13.	हिमाचल प्रदेश	4	0	0	4	8
14.	जम्मू और कश्मीर	0	319	34	21	374
15.	झारखंड	2	40	62	65	169
16.	कर्नाटक	31	137	838	122	1128
17.	केरल	80	150	159	229	618

18.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	17	70	64	134	285
20.	महाराष्ट्र	53	147	406	165	771
21.	मणिपुर	11	11	12	1	35
22.	मेघालय	0	0	2	2	4
23.	मिजोरम	0	2	13	0	15
24.	नागालैंड	8	0	0	11	19
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7	50	48	26	131
26.	उड़ीसा	12	30	13	12	67
27.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0
28.	पंजाब	4	14	15	0	33
29.	राजस्थान	2	41	76	135	254
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	34	120	91	21	266
32.	त्रिपुरा	0	0	3	3	6
33.	उत्तर प्रदेश	174	452	727	1598	2951
34.	उत्तरांचल	6	11	14	7	38
35.	पश्चिम बंगाल	116	291	398	325	1130
	कुल	**634**	**2781**	**3571**	**3846**	**10832**